

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठारीय अधिकारी :- श्री कुरे-दमित मावव आर०००५०५००
वाद सं० 113/16
निर्णय दिनांक 08.09.2018

1. मोदूलाल पुत्र दयाल
2. नाचूराम पुत्र दयाल
3. श्री-मारायण पुत्र दयाल
4. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
5. जगन्नाथरायण पुत्र मांगीलाल

समस्त जाति कुमावत नि० टाणी नागान जोबनेर तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०
वादीगण

बनाम

1. नाचूलाल पुत्र दयाल
2. पांचूराम पुत्र दयाल
समस्त जाति कुमावत नि० टाणी नागान जोबनेर तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०
3. श्रीमती मंजूदेवी पत्नि बंशीलाल जाति कुमावत नि० गुडा बेरसल तह० मौजमाबाद
जिला जयपुर राज०
तहसीलदार फुलेरा मु० सांभरलेक जिला जयपुर राज०

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

उनवानी वादीगण का वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश सांभरलेक में दिनांक 11.12.09 को प्राथमिक डिक्री किया गया था। इस प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार फुलेरा को पत्र क्रमांक 293 दिनांक 30.03.10 को लिखा गया था। फिर पर तहसीलदार फुलेरा ने अपने पत्र क्रमांक एल०आर०/15/2387 दिनांक 17.07.15 को नवशें कुरेजात तैयार कर न्यायालय सहायक जिलाधीश सांभरलेक में दिनांक 23.07.15 को पेश किये जो उसी दिवस पत्रावली में शामिल की किये गये। दिनांक 16.02.16 को सहायक जिलाधीश सांभरलेक से क्षेत्र बंटवारा होने से उक्त पत्रावली का स्थानान्तरण श्रीमान् के यहा होने से उक्त पत्रावली पुनः दर्ज की गयी।

पत्रावली दिनांक 08.09.18 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुयी। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 3 की ओर से वकील श्री योगेश शुक्ला ने उपस्थित होकर मुताबिक कुरेजात नवशा अनुसार अन्तिम डिक्री हेतु सहमति दी। पत्रावली एवं नवशें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से मुताबिक नवशें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

—h.
उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से विभाजन मुताबिक नवशे फुलेरात अन्तिम डिक्री किया जाता है कि बाकी ग्राम टाणी नागान प०म० टाणी नागान तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० के आराजी खं०नं० 727/429 रकबा 2 बीघा, खं०नं० 732/429 रकबा 5 विस्वा, खं०नं० 742/429 रकबा 4 विस्वा, खं०नं० 744/429 रकबा 4 विस्वा, खं०नं० 729/429 रकबा 2 विस्वा किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 15 विस्वा का श्रीनारायण पुत्र दयाला जाति कुमावत सा०देह० को तथा खं०नं० 726/429 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा, खं०नं० 733/429 रकबा 5 विस्वा, खं०नं० 740/429 रकबा 4 विस्वा किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 18 विस्वा का भंवरलाल पि० मांगीलाल जाति कुमावत सा०देह० को तथा खं०नं० 731/429 रकबा 5 विस्वा, खं०नं० 738/429 रकबा 4 विस्वा, खं०नं० 745/429 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 17 विस्वा का जयनारायण पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत सा०देह० को तथा खं०नं० 725/429 रकबा 2 बीघा, खं०नं० 728/429 रकबा 11 बीघा 13 विस्वा, खं०नं० 730/429 रकबा 1 बीघा, खं०नं० 734/429 रकबा 5 विस्वा, खं०नं० 735/429 रकबा 4 विस्वा, खं०नं० 737/429 रकबा 4 विस्वा, खं०नं० 741/429 रकबा 4 विस्वा किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा का पांचूराम, छोदूलाल, नानूराम पि० दयाला हि० 3/4 नाथूलाल पुत्र दयाला हि० 1/8 सा०देह०, मंजूदेवी पत्नि बंशीलाल हि० 1/8 जाति कुमावत सा० गुढा बैरसल तह० मौजमाबाद को तथा खं०नं० 736/429 रकबा 5 विस्वा, खं०नं० 739/429 रकबा 1 विस्वा, खं०नं० 743/429 रकबा 10 विस्वा किता 3 कुल रकबा 16 विस्वा का पांचूराम, छोदूलाल, नानूराम पि० दयाला हि० 3/8, नाथूलाल पुत्र दयाला हि० 1/16, मंजूदेवी पत्नि बंशीलाल हि० 1/16 जाति कुमावत सा० गुढा बैरसल तह० मौजमाबाद, श्रीनारायण पुत्र दयाला, भंवरलाल, जयनारायण पि० मांगीलाल जाति कुमावत सा०देह० हि० 1/2 को खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2018 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सांभर लोक अदालत

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 सन 6-7 जलवा दीवानी)

उच्च अदालत उच्चतम अधिकारी सामर लेक
बुधवार श्री वीरेन्द्रसिंह दादर, आर०ए०ए०

मुकाम सामर लेक

छोटूलाल दगैठ बनाम नाथूलाल दगैठ
दादा बाबत लकासमा आराजी एव स्थायी निवेदाज्ञा
मुकदमा नंबर 113/16

यह मुकदमा आज वास्तो इनकिताल कटार्ड सबरु श्री चन्दनसिंह व हाजरी श्री योगेश मुक्ता
मिनजनिब मुददई सबरु पक्षकारान मिनजनिब मुददायलह पेश होकर हुमन दिया जाता है
कि वरील का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की मावना से विभाजन मुताबिक नवरो कुरेजात
अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वार्डे ग्राम दानी नागान पानो दानी नागान तहो कुलेरो
जिला जयपुर राजो के आराजी ख०न० 727/429 रकबा 2 बीघा, ख०न० 732/429 रकबा
5 बिस्वा, ख०न० 742/429 रकबा 4 बिस्वा, ख०न० 744/429 रकबा 2 बिस्वा, ख०न० 729/429 रकबा 2 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का श्रीनारायण पुत्र दयाला
जाति कुमावत सा०दे० को तथा ख०न० 726/429 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, ख०न०
733/429 रकबा 5 बिस्वा, ख०न० 740/429 रकबा 4 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 3 बीघा
18 बिस्वा का मंदरलाल पि० मांगीलाल जाति कुमावत सा०दे० को तथा ख०न० 731/429
रकबा 5 बिस्वा, ख०न० 738/429 रकबा 4 बिस्वा, ख०न० 745/429 रकबा 3 बिस्वा
बिस्वा किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा का जयनारायण पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत
सा०दे० को तथा ख०न० 725/429 रकबा 2 बीघा, ख०न० 728/429 रकबा 11 बीघा 13
बिस्वा, ख०न० 730/429 रकबा 1 बीघा, ख०न० 734/429 रकबा 5 बिस्वा, ख०न०
735/429 रकबा 4 बिस्वा, ख०न० 737/429 रकबा 4 बिस्वा, ख०न० 741/429 रकबा 4
बिस्वा किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा का पांचूराम, छोटूलाल, नानूराम पि० दयाला
हि० 3/4 नाथूलाल पुत्र दयाला हि० 1/8 सा०दे०, मंजूदेवी पत्नि बरीलाल हि० 1/8
जाति कुमावत सा० गुदा बैरसल तहो मौजमाबाद को तथा ख०न० 736/429 रकबा 5
बिस्वा, ख०न० 739/429 रकबा 1 बिस्वा, ख०न० 743/429 रकबा 10 बिस्वा किता 3 कुल
रकबा 16 बिस्वा का पांचूराम, छोटूलाल, नानूराम पि० दयाला हि० 3/8, नाथूलाल पुत्र
दयाला हि० 1/16, मंजूदेवी पत्नि बरीलाल हि० 1/16 जाति कुमावत सा० गुदा बैरसल
तहो मौजमाबाद, श्रीनारायण पुत्र दयाला, मंदरलाल, जयनारायण पि० मांगीलाल जाति
कुमावत सा०दे० हि० 1/2 को खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।

निज

मुबलिग

- बाबत _____ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह _____ का अदा करे।
- फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____ बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 09 सन् 2018 को



दस्तखत

उप उच्च अधिकारी
सामर लेक

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महाना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर मुतफरिक			स्टाम्प अजी दावा स्टाम्प अजी महाना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुम्नाना मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीफेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।